

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 1.10.19

संख्या-12/प0 (मू0को0)-407/14-सा0प्र0-13614/ बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों की सेवा वापस लेते हुए/स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के समक्ष कॉलम 4 में अंकित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है:-

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	पदस्थापन का पद एवं स्थान का नाम
1	2	3	4
1	श्री शैलेश कुमार चौधरी, 1318/11, समस्तीपुर	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर, मधुबनी
2	श्री उपेन्द्र पाल, 1405/11, सिवान	भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोपालगंज सदर	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज सदर
3	श्री संदीप कुमार, 1394/11, मधुबनी	पदस्थापन की प्रतीक्षा में ।	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के तहत संबंधित अनुमंडल क्षेत्र के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है एवं उन्हें संबंधित जिला में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने के लिए भी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक-12/प0 (मू0को0)-407/14-सा0प्र0-13614/पटना-15, दिनांक- 1.10.19

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/गोपालगंज/वैशाली/प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/संबंधित पदाधिकारी/प्रशाखा-8 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(विमलेश कुमार झा)
सरकार के अपर सचिव